संख्या– 250 /XV–1/1(6)/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 05 मई, 2008

विषय :– अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2008–09 हेतु बजट आबंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–293/नि0/बजट/निर्माण/2008–09 दिनांक 1 मई, 2008 एवं शासनादेश संख्या–132/XV–1/1(6)/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला योजना के अर्न्तगत पशुचिकित्सालयों व पशु सेवा केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण योजनान्तर्गत विगत वर्षों में स्वीकृत आगणन रुपया 51.62 लाख के सापेक्ष अवशेष रुपया 21.62 लाख के सापेक्ष योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि **रुपया 15.00 लाख (रुपया पन्द्रह लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	2008–09 हेतु धनराशि की स्वीकृति
1.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून	15.00
	योग :–	**15.00**

(रुपया पन्द्रह लाख मात्र)

(2) आगणन में उल्लिखित जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति/अनुमोदन नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(4) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से पूर्ण करते हुए, कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही सम्पादित कराया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लें एवं निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाये।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें व कार्य प्रारम्भ करने में देरी यदि हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी अधिकारियों के विरुद्व कार्यवाही की जाय।

(9) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाय।

(10) धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों का तथा कय सम्बन्धी शासनादेशों में दी गई व्यवस्था व स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया जाय।

(11) निर्माण कार्यों में धनराशि जारी करने से पूर्व उनकी अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति प्राप्त कर ली जाए।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–00–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01 –पशुपालन विभाग की जिला योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण–24–वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्रांक–267/XXVII(1) दिनांक 27 मार्च, 2008 एवं मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 250 (1)/XV–1/2008–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. उप निदेशक, पशुलोक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
9. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
13. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।